झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–33 / 2020

शंकर साहू उर्फ शंकर कुमार साहू .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

02 / 13.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता घाघरा थाना काण्ड संख्या 102 / 2019, जी0आर0 संख्या 668 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने याचिकाकर्त्ता का नाम लिया जो भाग रहा था। उसके पास से बहुत से सामान के साथ एक देशी राइफल बरामद किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को गिरफ्तार अभियुक्त रामजी भगत उर्फ विकास जी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। याचिकाकर्त्ता दिनांक 14.10.2019 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, अनुमंडल

न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला के संतुष्टि पर घाघरा थाना काण्ड संख्या 102 वर्ष 2019, जी0आर0 संख्या 668 वर्ष 2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)